Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 03-08-2006

Participants : Kumar Shri Shailendra

an>

Title : Need to provide Separate Funds for National Commission for Scheduled Castes.

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के प्रावधान के तहत गठित अनुसूचित जाति आयोग का उद्देश्य ही विफल हो गया है। आयोग के लिए अलग से कोई कोा नहीं है। आयोग में कम्प्यूटर ऑपरेटर नहीं है। 1978 में इसके गठन से लेकर अब तक कोई विधि अधिकारी आयोग में नहीं है। पुलिस उप-महानिरीक्षक का पद केवल कुछ समय को छोड़कर लगातार रिक्त रहा है। धनाभाव के कारण संबद्ध पक्षों की बैठक नहीं बुला पा रहे हैं। संविधान में अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए विभिन्न प्र ाावधान होने के बावजूद उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। सन् 2004 में अत्याचार निरोधक अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार के 38 हजार मामले दर्ज किये गये थे। उक्त मामलों में दोाियों को सजा देने की रफ्तार भी बहुत कम है। केवल 3 प्रतिशत मामलों में लोगों को सजा होती है। आज भी राजस्थान में अनुसूचित जाति के दूल्हे को घोड़ी पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाती है। राज्य सरकारों में तो आयोग का बहुत बुरा हाल है। केन्द्र सरकार उक्त आयोग पर ध्यान दे।